

ज्ञापांक : JAC/Sch/CRMMSS/089/23/Secy/438/23 दिनांक : 18.05.2023

विज्ञप्ति प्रेषित : मे० आर० डी० एस० मार्केटिंग एण्ड एडवर्टाईजिंग ग्रुप, राँची को इस निर्देश के साथ कि न्यूनतम साईज में संलग्न विज्ञप्ति को (1) प्रभात खबर झारखण्ड, (2) दैनिक भास्कर झारखण्ड, (3) दैनिक जागरण झारखण्ड एवं (4) हिन्दुस्तान झारखण्ड के आगामी दिनांक 19.05.2023 के संस्करण में प्रकाशन सुनिश्चित करें। विज्ञप्ति प्रकाशनोपरान्त देयक की दो प्रतियाँ निर्धारित डी०ए०भी०पी० दर पर परिषद् कार्यालय में भेज दें।



सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, 2023 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - ...27.../2023

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 826 दिनांक 14.03.2019 तथा 340 दिनांक 21.02.2022 के द्वारा झारखण्ड राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु **मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना** प्रख्यापित किया गया है। इस योजना के तहत चयनित छात्र/छात्राओं को कक्षा-09 से 12 तक छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। छात्रवृत्ति के लिए छात्र/छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को अधिकृत किया गया है।

एतद् द्वारा राजकीय/राजकीयकृत/कस्तुरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के कक्षा- 07 उत्तीर्ण/कक्षा-08 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय के प्रधानों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि **मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (CMMSS)** परीक्षा का आयोजन परिषद् द्वारा किया जा रहा है। परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किया जाएगा। यह प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क होगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्र/छात्राओं की अनिवार्य अर्हता, स्वरूप एवं योजना निम्नवत् है :-

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना

- मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष कुल 5000 छात्र/छात्राओं हेतु सीट निर्धारित है।
- छात्रवृत्ति हेतु छात्र/छात्राओं का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार किया जाएगा।
- प्रत्येक जिले से अधिकतम 400 छात्र/छात्राओं का ही चयन किया जाएगा।
- चयनित सभी छात्र/छात्राओं को कक्षा- 09 से 12 तक 12,000/- रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- कक्षा-09 से 11 तक आयोजित होनेवाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा (कक्षा 09, 10 एवं 11) में संबंधित छात्र/छात्राओं को 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के योग्य माने जायेंगे। किसी भी कक्षा 09, 10 या 11 में यदि संबंधित छात्र/छात्रा 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें आगामी वर्ष से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- चयनित छात्र/छात्रा राज्य अन्तर्गत किसी भी विद्यालय (CBSE/ICSE या अन्य विद्यालय में) नामांकन ले सकते हैं।
- ऐसे छात्र-छात्रा, जो गैर आवासीय व्यवस्था/राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्णरूपेण देय होगा।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हों, तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।
- आकांक्षा में नामांकन प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का 50 प्रतिशत ही देय होगा।

परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु छात्र/छात्राओं की अर्हता

- राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालयों में नामांकित एवं नियमित रूप से अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ परीक्षा के लिए योग्य होंगे।
- कक्षा-07 में न्यूनतम 55% अंकों (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को 5% की छूट होगी) के साथ उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ परीक्षा के आवेदन हेतु योग्य माने जायेंगे।
- अभिभावक की वार्षिक आय की बाध्यता नहीं होगी।
- 30 प्रतिशत सीट बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी।

परीक्षा का स्वरूप

- परीक्षा दो खण्डों में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक खण्ड 90 मिनटों का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रकृति के होंगे।
- खण्ड-1 :- बौद्धिक योग्यता परीक्षा (Mental Ability Test) - इसके अन्तर्गत कुल 90 प्रश्न होंगे, जिसमें Reasoning, English Proficiency तथा Hindi Proficiency से संबंधित प्रश्न होंगे। विद्यार्थियों की बौद्धिक/तार्किक क्षमता को परखने हेतु Reasoning अन्तर्गत Analogy, Classification, Numerical series, Pattern perception, Hidden figures आदि से संबंधित प्रश्न समाहित होंगे। कठिनाई का स्तर वर्ग 7 एवं 8 का होगा।
- खण्ड-2 :- शैक्षिक योग्यता परीक्षा (Scholastic Aptitude Test) - इसके अन्तर्गत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं गणित विषय के प्रश्न (प्रति विषय 30 प्रश्न) समाहित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 90 होगी। सभी प्रश्न वर्ग 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम के अन्तर्गत होगा।
- छात्रवृत्ति के लिए चयन पर विचार हेतु आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में छात्र/छात्रा को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक तथा प्रत्येक खण्डों में 40 प्रतिशत (SC/ST छात्र/छात्रा के लिए 35 प्रतिशत) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने संबंधी दिशा-निर्देश एवं कार्यक्रम

- राजकीय/राजकीयकृत/कस्तूरबा/मॉडल/प्रोजेक्ट/अल्पसंख्यक/गैर सहायता प्राप्त एवं अनुदानित विद्यालय के छात्र/छात्रा इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरेंगे।
- संबंधित छात्र/छात्रा परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अपने जिला, विद्यालय एवं अन्य यथा वांछित जानकारी वेबसाइट पर संधारित करेंगे।
- परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20.05.2023 से 09.06.2023 तक परिषद् के वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया जाएगा।
- भरे हुए परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा दिनांक 21.05.2023 से 10.06.2023 तक ऑनलाइन परिषद् को अग्रसारित किया जायेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी परिषद् से कक्षा 08 के लिए निर्गत किए गए ID एवं Password का उपयोग कर परीक्षा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन अग्रसारण करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों के अनुसार ही परिषद् द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑनलाइन अग्रसारित किए गए आवेदन प्रपत्रों की सूची (प्रतिहस्ताक्षरित कर) परिषद् के वेबसाइट से डाउनलोड कर परिषद् को समर्पित करेंगे।
- प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि - 19.06.2023 ।
- परीक्षा की तिथि - दिनांक 24.06.2023 ।

सभी शिक्षा पदाधिकारियों, कक्षा 08 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों, संबंधित विद्यालय प्रधानों एवं अन्य सभी संबंधितों से अनुरोध है कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना (CMMSS) परीक्षा को सफल बनाने हेतु अधिक-से-अधिक छात्र/छात्राओं को सम्मिलित कराने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित किया जाय। ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की सार्थकता पूर्ण हो सके एवं राज्य सरकार की योजना का लाभ अधिक-से-अधिक छात्र/छात्राओं को मिल सके।

JAC/Sch/CMMSS/20/085/23/Secy/438/23
दिनांक 18.5.2023

D.O.P - 19.5.2023

अध्यक्ष के आदेश से,

सचिव,

द्वारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।